

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपजलमहाधिकारी (राजस्व) नीहर

पीतारसीन अधिकारी का नाम : सुशी शैलम कोचर (आजगणपुसक)

दिनांक : 20 सप 2022

अनवान :-

1. वितेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट विकासी सोनडी तहसील नीहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट विकासी सोनडी तहसील नीहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नीहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत गुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

गू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिष्ठत :- श्री गणेश किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 26/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैव भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राज्जन राम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता सही नाम साजनराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम साजनराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैव भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम राज्जनराम के स्थान पर साजनराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपरिष्ठत आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैव भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राज्जन राम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता सही नाम साजनराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में


उपसंखंड अधिकारी
नीहर

दर्ज है प्रार्थी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम साजनराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सज्जनराम के स्थान पर साजनराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैक् भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम सज्जनराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम साजनराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम साजनराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सज्जनराम दर्ज है के स्थान पर साजनराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया

।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/899

दिनांक :- 25/03/2022

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 20/2022 अनवानी नितेश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. नितेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. मुकेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

बनाम


प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 20/2022 अनवानी नितेश कुमार बनाम सरकार में दिनांक 24/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 774/22 की कुल 4.2905 हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम साजनराम दर्ज है के स्थान पर साजनराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)